

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
MahaLekha Niyantarak Bhawan,
E Block, GPO Complex, INA,
New Delhi-23

No. T-14018/09/2015/GST/Code/461-470

Dated 19-06-2017

To


CCA, O/o Pr. CCA, CBEC,
Department of Revenue,
DGACR Building,
I.P. Estate, New Delhi

Subject: Opening of new Major, Minor and Sub-Heads for accounting of Goods & Services Tax (GST).

Sir,

I am to enclose herewith Correction Slip Numbers from 845 to 857 dated 19-06-2017 for opening of new Major, Minor and Sub-Heads for accounting of Goods & Services Tax (GST) in the LMMHA and correction in the General Direction 8 of the LMMHA.

Yours faithfully,



(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Code)

Encl:- As above

Copy along-with Correction Slip Numbers from 845 to 857 dated 19-06-2017 forwarded to:

1. Sr. Administrative Officer (AC-I), O/o C & AG, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi
2. Sh. T. Uthaya Kumar, Additional Budget Officer, Ministry of Finance, DEA, North Block, New Delhi
3. Sr. AO, Data Analytics and Monthly Accounts, O/o CGA.
4. Sr. AO, Finance Account, O/o CGA.
5. Sr. AO, Appropriation Accounts, O/o CGA.
6. Sr. AO, ITD (two copies) for uploading the same on the website of CGA.
7. Sr. AO, TA-1, O/o CGA.
8. Sr. AO, TA-2, O/o CGA.
9. Asstt. Director (Official Language), O/o CGA for Hindi translation.

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 845

Dated: 19-06-2017

Page No. i (Reprint of Fourth Edition)

Receipts Heads (Revenue Account)

Sector: A. Tax Revenue

(i) Insert new sub-sector and new Major Heads as under:

(a) Goods and Services Tax

0005 Central Goods and Services Tax (CGST) Page 1

0006 State Goods and Services Tax (SGST) Page 1

0007 Union Territory Goods and Services Tax (UTGST) Page 1

0008 Integrated Goods and Services Tax (IGST) Page 1


(ii) Rearrange the number of existing sub-sectors (a), (b) & (c) and rename the existing sub-sector (c) Taxes on Commodities and Services as follows:

(b) Taxes on Income and Expenditure

(c) Taxes on Property, Capital and other transactions

(d) Taxes on Commodities and Services other than Goods and Services Tax

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 846

Dated: 19-06-2017

Page No. iii (Reprint of Fourth Edition)

Expenditure Heads (Revenue Account)

Sector: A. General Services

Sub-Sector: (b) Fiscal Services

Sub-sub Sector: (iii) Collection of Taxes on Commodities and Services


Insert new Major Heads as under:

**2042 Collection Charges under Central Goods and Services Tax & Integrated
Goods and Services Tax Page 95**

2043 Collection Charges under State Goods and Services Tax Page 95

**2044 Collection Charges under Union Territory Goods and Services
Tax Page 95**

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 847

Dated: 19-06-2017

Page No. 1 (Reprint of Fourth Edition)

- (i) Read the serial number as **(b)** instead of (a) for the existing sub-sector 'Taxes on Income and Expenditure'.
- (ii) Insert new sub-sector (a) Goods and Services Tax
- (iii) Insert new Major Head as under:

Major Head: 0005 Central Goods and Services Tax (CGST)

Minor Head:

101	Tax (1), (2)
102	Interest (1)
103	Penalty (1)
104	Fees (1)
105	Input Tax Credit cross utilisation of CGST and IGST (3)
106	Apportionment of IGST-Transfer-in of Tax Component to CGST
107	Apportionment of IGST-Transfer-in of Interest Component to CGST
108	Apportionment of IGST-Transfer-in of Penalty Component to CGST
109	Sale proceeds of confiscated Goods (4)
500	Receipts awaiting transfer to other Minor Heads (5)
800	Other Receipts (1)
901	Share of net proceeds assigned to States (6)


Notes:

- (1) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Collections
02-Deduct Refunds
- (2) Sub-Head 'Deduct Refunds' below Minor Head '101-Tax' will include Detailed Heads (1) Excess due to mistake/inadvertence, (2) Exports, (3) Deemed Export, (4) Provisional Assessment, (5) Pre-deposit for filing

appeal, (6) Refund or duty paid during investigation, (7) Purchases made by embassies, (8) Refund of Accumulated credit due to Inverted duty structure, (9) Year end or volume based incentives, (10) Tax Refund for international tourists, (11) Others.

- (3) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Transfer-in from IGST
02-Transfer out to IGST
- (4) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Sale proceeds of confiscated Goods
02-Fees, Fines and Penalties.
- (5) Any errors arising after revenue realised would be initially booked under this minor head as credit entry. After the completion of reconciliation process, the same entry would be cleared by minus Credit to this Minor Head and Credit to appropriate minor head.
- (6) This Minor Head will figure as a minus entry in the Central Government Accounts and as a plus entry in the States Accounts.

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 848

Dated: 19-06-2017

Page No. 1 (Reprint of Fourth Edition)

Insert new Major Head under new sub-sector (a) Goods and Services Tax


Major Head:	0006 State Goods and Services Tax (SGST) (1)
Minor Head:	101 Tax (2), (3)
	102 Interest (2)
	103 Penalty (2)
	104 Fees (2)
	105 Input Tax Credit cross utilisation of SGST and IGST (4)
	106 Apportionment of IGST-Transfer-in of Tax Component to SGST
	107 Apportionment of IGST-Transfer-in of Interest Component to SGST
	108 Apportionment of IGST-Transfer-in of Penalty Component to SGST
	109 Sale proceeds of confiscated Goods (5)
	500 Receipts awaiting transfer to other Minor Heads (6)
	800 Other Receipts(2)

Notes:

- (1) This Major Head will be used for States/Union Territories with Legislatures Governments.
- (2) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Collections
02-Deduct Refunds
- (3) Sub-Head 'Deduct Refunds' below Minor Head '101-Tax' will include Detailed Heads (1) Excess due to mistake/inadvertence, (2) Exports, (3) Deemed Export, (4) Provisional Assessment, (5) Pre-deposit for filing appeal, (6) Refund or duty paid during investigation, (7) Purchases made by embassies, (8) Refund of Accumulated credit due to Inverted duty structure, (9) Year end or volume based incentives, (10) Tax Refund for international tourists, (11) Others.

- (4) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Transfer-in from IGST
02-Transfer out to IGST
- (5) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Sale proceeds of confiscated Goods
02-Fees, Fines and Penalties.
- (6) Any errors arising after revenue realised would be initially booked under this minor head as credit entry. After the completion of reconciliation process, the same entry would be cleared by minus Credit to this Minor Head and Credit to appropriate minor head.

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. **849**

Dated: 19-06-2017

Page No. 1 (Reprint of Fourth Edition)

Insert new Major Head under new sub-sector (a) Goods and Services Tax

Major Head: 0007 Union Territory Goods and Services Tax (UTGST) (1)

Sub-Major Head: 01 Chandigarh

Minor Head:

- 101 Tax (2), (3)
- 102 Interest (2)
- 103 Penalty (2)
- 104 Fees (2)
- 105 Input Tax Credit cross utilisation of UTGST and IGST (4)
- 106 Apportionment of IGST-Transfer-in of Tax Component to UTGST
- 107 Apportionment of IGST-Transfer-in of Interest Component to UTGST
- 108 Apportionment of IGST-Transfer-in of Penalty Component to UTGST
- 109 Sale proceeds of confiscated Goods (5)
- 500 Receipts awaiting transfer to other Minor Heads (6)
- 800 Other Receipts (2)

Sub-Major Head: 02 Daman and Diu

Minor Head:

- 101 Tax (2), (3)
- 102 Interest (2)
- 103 Penalty (2)
- 104 Fees (2)
- 105 Input Tax Credit cross utilisation of UTGST and IGST (4)
- 106 Apportionment of IGST-Transfer-in of Tax Component to UTGST
- 107 Apportionment of IGST-Transfer-in of Interest Component to UTGST

- 108 Apportionment of IGST-Transfer-in of Penalty Component to UTGST
- 109 Sale proceeds of confiscated Goods (5)
- 500 Receipts awaiting transfer to other Minor Heads (6)
- 800 Other Receipts (2)

Sub-Major Head: 03 Dadra and Nagar Haveli

- Minor Head:**
- 101 Tax (2), (3)
 - 102 Interest (2)
 - 103 Penalty (2)
 - 104 Fees (2)
 - 105 Input Tax Credit cross utilisation of UTGST and IGST (4)
 - 106 Apportionment of IGST-Transfer-in of Tax Component to UTGST
 - 107 Apportionment of IGST-Transfer-in of Interest Component to UTGST
 - 108 Apportionment of IGST-Transfer-in of Penalty Component to UTGST
 - 109 Sale proceeds of confiscated Goods (5)
 - 500 Receipts awaiting transfer to other Minor Heads (6)
 - 800 Other Receipts (2)

Sub-Major Head: 04 Lakshadweep

- Minor Head:**
- 101 Tax (2), (3)
 - 102 Interest (2)
 - 103 Penalty (2)
 - 104 Fees (2)
 - 105 Input Tax Credit cross utilisation of UTGST and IGST (4)
 - 106 Apportionment of IGST-Transfer-in of Tax Component to UTGST
 - 107 Apportionment of IGST-Transfer-in of Interest Component to UTGST
 - 108 Apportionment of IGST-Transfer-in of Penalty Component to UTGST
 - 109 Sale proceeds of confiscated Goods (5)
 - 500 Receipts awaiting transfer to other Minor Heads (6)
 - 800 Other Receipts (2)

Sub-Major Head: 05 Andaman and Nicobar Islands


- Minor Head:**
- 101 Tax (2), (3)
 - 102 Interest (2)

103	Penalty (2)
104	Fees (2)
105	Input Tax Credit cross utilisation of UTGST and IGST (4)
106	Apportionment of IGST-Transfer-in of Tax Component to UTGST
107	Apportionment of IGST-Transfer-in of Interest Component to UTGST
108	Apportionment of IGST-Transfer-in of Penalty Component to UTGST
109	Sale proceeds of confiscated Goods (5)
500	Receipts awaiting transfer to other Minor Heads (6)
800	Other Receipts (2)

Notes:

- (1) This Major Head will be used for Union Territories without Legislature.
- (2) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Collections
02-Deduct Refunds
- (3) Sub-Head 'Deduct Refunds' below Minor Head '101-Tax' will include Detailed Heads (1) Excess due to mistake/inadvertence, (2) Exports, (3) Deemed Export, (4) Provisional Assessment, (5) Pre-deposit for filing appeal, (6) Refund or duty paid during investigation, (7) Purchases made by embassies, (8) Refund of Accumulated credit due to Inverted duty structure, (9) Year end or volume based incentives, (10) Tax Refund for international tourists, (11) Others.
- (4) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Transfer-in from IGST
02-Transfer out to IGST
- (5) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Sale proceeds of confiscated Goods
02-Fees, Fines and Penalties.
- (6) Any errors arising after revenue realised would be initially booked under this minor head as credit entry. After the completion of reconciliation process, the same entry would be cleared by minus Credit to this Minor Head and Credit to appropriate minor head.

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 850

Dated: 19-06-2017

Page No. 1 (Reprint of Fourth Edition)

Insert new Major Head under new sub-sector (a) Goods and Services Tax

Major Head:	0008 Integrated Goods and Services Tax (IGST)
Minor Head:	101 Tax (1), (2)
	102 Interest (1)
	103 Penalty (1)
	104 Fees (3)
	105 Input Tax Credit cross utilisation between IGST & CGST (4)
	106 Input Tax Credit cross utilisation between IGST & SGST (5)
	107 Input Tax Credit cross utilisation between IGST & UTGST (6)
	109 Sale proceeds of confiscated Goods (7)
	500 Receipts awaiting transfer to other Minor Heads (8)
	800 Other Receipts (3)
	901 Share of net proceeds assigned to States (9)
	950 Apportionment of IGST-Transfer out of Tax Component to CGST (10)
	951 Apportionment of IGST-Transfer out of Interest Component to CGST (10)
	952 Apportionment of IGST-Transfer out of Penalty Component to CGST (10)
	953 Apportionment of IGST-Transfer out of Tax Component to SGST (10), (11)
	954 Apportionment of IGST-Transfer out of Interest Component to SGST (10), (11)
	955 Apportionment of IGST-Transfer out of Penalty Component to SGST (10), (11)
	956 Apportionment of IGST-Transfer out of Tax Component to UTGST (10), (12)
	957 Apportionment of IGST-Transfer out of Interest Component to UTGST (10), (12)

**958 Apportionment of IGST-Transfer out of Penalty
Component to UTGST(10), (12)**

Notes:

- (1) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads**:
01-Collections
02-Deduct Refunds
- (2) Sub-Head 'Deduct Refunds' below Minor Head '101-Tax' will include Detailed Heads (1) Excess due to mistake/inadvertence, (2) Exports, (3) Deemed Export, (4) Provisional Assessment, (5) Pre-deposit for filing appeal, (6) Refund or duty paid during investigation, (7) Purchases made by embassies, (8) Refund of Accumulated credit due to Inverted duty structure, (9) Year end or volume based incentives, (10) Tax Refund for international tourists, (11) Others.
- (3) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Collections
02-Deduct Refunds
- (4) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Transfer-in to IGST from CGST
02-Transfer-out from IGST to CGST
- (5) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Transfer-in to IGST from SGST
02-Transfer out from IGST to SGST

(Distinct Detailed heads for each State/Union Territory with Legislature Government may be opened under Sub-Heads 01 & 02 above).

- (6) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Transfer-in to IGST from UTGST
02-Transfer-out from IGST to UTGST


(Distinct Detailed heads for each UT (without legislature) may be opened under Sub-Heads 05 & 06 above).

- (7) This Minor Head will be divided in following Sub-Heads:
01-Sale proceeds of confiscated Goods
02-Fees, Fines and Penalties.

(8) Any errors arising after revenue realised would be initially booked under this minor head as credit entry. After the completion of reconciliation process, the same entry would be cleared by minus Credit to this Minor Head and Credit to appropriate minor head.

- (9) This Minor Head will figure as a minus entry in the Central Government Accounts and as a plus entry in the States Accounts.
- (10) The amounts under this Minor Head will be a Minus figure.
- (11) Distinct Sub-Heads for each State may be opened under this Minor Head.
- (12) Distinct Sub-Heads for each UT (without legislature) may be opened under this Minor Head.

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States


Correction Slip No. 851

Dated: 19-06-2017

Page No. 7 (Reprint of Fourth Edition)

Substitute the Sub-Sector '(b) Taxes on Property and Capital transactions' with '(c) Taxes on Property, Capital and Other Transactions'.

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

Note: CS not 572 dated 17-06-2005 may please be refer.

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States


Correction Slip No. 852

Dated: 19-06-2017

Page No. 11 (Reprint of Fourth Edition)

Substitute the Sub-Sector '(c) Taxes on Commodities and Services' with '**(d) Taxes on Commodities and Services other than Goods and Services Tax**'.

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 853

Dated: 19-06-2017


Page No. 95 (Reprint of Fourth Edition)

Insert new Major Head under sub-sector (b) Fiscal Services, (i) Collection of Taxes on Income and Expenditure

Major Head: 2042 Collection Charges under Central Goods and Services Tax & Integrated Goods and Services Tax

**Minor Head: 001 Direction and Administration
101 Collection Charges
800 Other Expenditure**

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 854

Dated: 19-06-2017

Page No. 95 (Reprint of Fourth Edition)


Insert new Major Head under sub-sector (b) Fiscal Services, (i) Collection of Taxes on Income and Expenditure

Major Head: 2043 Collection Charges under State Goods and Services Tax(1)

**Minor Head: 001 Direction and Administration
101 Collection Charges
800 Other Expenditure**

Note: (1) This Major Head will be used for States/Union Territories with Legislature.

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 855

Dated: 19-06-2017

Page No. 95 (Reprint of Fourth Edition)


Insert new Major Head under sub-sector (b) Fiscal Services, (i) Collection of Taxes on Income and Expenditure

Major Head: 2044 Collection Charges under Union Territory Goods and Services Tax (1)

**Minor Head: 001 Direction and Administration
101 Collection Charges
800 Other Expenditure**

Note: (1) This Major Head will be used for Union Territories without Legislature.

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 856

Dated: 19-06-2017

Page No. 236 (Reprint of Fourth Edition)

Major Head: 4047 Capital Outlay on Other Fiscal Services

Insert following new Minor Heads above the existing Minor Head '037-Customs':

Minor Head: 005 Central Goods and Services Tax
006 State Goods and Services Tax (3)
007 Union Territory Goods and Services Tax (4)


Notes:

(3) This Minor Head will be used for States/Union Territories with Legislatures

(4) This Minor Head will be used for Union Territories without Legislature.

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Codes)

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 857

Dated: 19-06-2017

Page No. xxi (Reprint of Fourth Edition)


8 Coding Pattern

Major Head

Insert following para at the end :

In exceptional circumstances where it is not possible to maintain the above correspondence between 'Revenue Receipts/Revenue Expenditure/Capital Expenditure/Loan' head codes, suitable Major Head codes other than the corresponding Major Head codes may be introduced.

(Effective from 2017-18)
(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)
Sr. Accounts Officer (Codes)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ और राज्य के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं.845

दिनांक: 19-06-2017

पृष्ठ सं.। (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

पावती शीर्ष (राजस्व लेखा)

सेक्टर: क. कर राजस्व

(i) नए उप सेक्टर और नए मुख्य शीर्षों को निम्नानुसार अतः स्थापित करें:

(क) वस्तु और सेवा कर

0005 केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी) पृष्ठ 1

0006 राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी) पृष्ठ 1

0007 संघ राज्य क्षेत्र वस्तु और सेवा कर (यूटीजीएसटी) पृष्ठ 1

0008 एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी) पृष्ठ 1

(ii) विद्यमान उप सेक्टर (क), (ख) एवं (ग) की संख्या को पुनर्व्यवस्थित करें और विद्यमान उप सेक्टर (ग) सामान और सेवाओं पर कर का पुनः नामकरण निम्नानुसार करें

(ख) आय और व्यय पर कर

(ग) संपत्ति, पूंजी और अन्य लेनदेनों पर कर

(घ) वस्तु और सेवा कर के अलावा सामान और सेवाओं पर कर

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)

वित्त मंत्री

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ और राज्य के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं.846
दिनांक: 19-06-2017

पृष्ठ सं. iii (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)

सेक्टर: क. सामान्य सेवाएं

उप-सेक्टर: (ख) राजकोषीय सेवाएं

उप-उप सेक्टर(iii) सामान और सेवाओं पर करों का संग्रहण

नए मुख्य शीर्षों को निम्नानुसार अंतःस्थापित करें:

2042 केंद्रीय वस्तु और सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	पृष्ठ 95
2043 राज्य वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	पृष्ठ 95
2044 संघ राज्य क्षेत्र वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	पृष्ठ 95

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ और राज्य के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं.847
दिनांक: 19-06-2017

पृष्ठ सं. 1 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

- (i) विद्यमान उप सेक्टर 'आय और व्यय पर कर' के लिए क्रम संख्या (क) के स्थान पर (ख) पढ़ें
- (ii) नया उप-सेक्टर (क) वस्तु और सेवा कर अंतःस्थापित करें
- (iii) नए मुख्य शीर्ष को निम्नानुसार अतःस्थापित करें:

मुख्य शीर्ष: 0005 केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सीजीएसटी)

लघु शीर्ष:	101	कर (1), (2)
	102	ब्याज (1)
	103	शास्ति (1)
	104	फीस (1)
	105	सीजीएसटी और आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग (3)
	106	आईजीएसटी का बंटवारा - सीजीएसटी को कर भाग का अंतःस्थानांतरण
	107	आईजीएसटी का बंटवारा - सीजीएसटी को ब्याज भाग का अतःस्थानांतरण
	108	आईजीएसटी का बंटवारा - सीजीएसटी को शास्ति भाग का अतःस्थानांतरण
	109	जब्त सामान की बिक्री आय (4)
	500	अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्ति (5)
	800	अन्य प्राप्ति (1)
	901	राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्ति का भाग (6)

टिप्पणी:

- (1) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
01 - वसूलियों

- 02 - घटाएं वापसियां
- (2) लघु शीर्ष '101 - कर' के नीचे उप शीर्ष ' घटाएं वापसियां' में विस्तृत शीर्ष (1) चूक/गलती के कारण अधिक व्यय (2) निर्यात (3) डीमंड निर्यात (4) अनंतिक आंकलन (5) अपील दायर के लिए पूर्व जमा (6) जांच के दौरान धन वापसी या भुगतान शुल्क (7) दूतावासों द्वारा की गई खरीद (8) विपरीत शुल्क संरचना के कारण संचित क्रेडिट की वापसी (9) वर्ष के अंत अथवा मात्रा आधारित प्रोत्साहन (10) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को कर की वापसी (11) अन्य शामिल हैं।
- (3) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
01 - आईजीएसटी से अंतःस्थानांतरण
02 - आईजीएसटी को बाह्य स्थानांतरण
- (4) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
01 - जब्त सामान की बिक्री आय
02 - फीस, जुर्माना और शास्तियां
- (5) राजस्व वसूली के बाद पता लगने वाली गलतियों को शुरुआत में इस लघु शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट प्रविष्टि के रूप में बुक किया जाएगा। समाधान प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस प्रविष्टि का इस लघु शीर्ष को ऋण क्रेडिट तथा उपयुक्त लघु शीर्ष को क्रेडिट द्वारा समाशोधन किया जाएगा
- (6) इस लघु शीर्ष को केंद्र सरकार लेखा में ऋण प्रविष्टि तथा राज्य लेखा में धन प्रविष्टि के रूप में दर्शाया जाएगा।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ और राज्य के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं.848

दिनांक: 19-06-2017

पृष्ठ सं.1 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

नए मुख्य शीर्ष को नए उप सेक्टर (क) वस्तु और सेवा कर के नीचे अंतःस्थापित करें।

मुख्य शीर्ष: 0006	राज्य वस्तु और सेवा कर (एसजीएसटी) (1)
101	कर (2) (3)
102	ब्याज (2)
103	शास्ति (2)
104	फीस (2)
105	एसजीएसटी और आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग (4)
106	आईजीएसटी का बंटवारा - एसजीएसटी के कर भाग का अंतःस्थानांतरण
107	आईजीएसटी का बंटवारा - एसजीएसटी को ब्याज भाग का अंतःस्थानांतरण
108	आईजीएसटी का बंटवारा - एसजीएसटी को शास्ति भाग का अंतःस्थानांतरण
109	जब्त माल की बिक्री आय (5)
500	अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्ति (6)
800	अन्य प्राप्ति (2)

नोट:

- (1) इस मुख्य शीर्ष का उपयोग विधानमंडल वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के लिए किया जाएगा।
- (2) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
 - 01 - वसूलियां
 - 02 - घटाएं वापसियां

- (3) लघु शीर्ष '101- कर' के नीचे उप शीर्ष 'घटाएं वापसियां' में विस्तृत शीर्ष (1) चूक/गलती के कारण अधिक व्यय (2) निर्यात (3) डीमड निर्यात (4) अनंतिम आंकलन (5) अपील दायर के लिए पूर्व जमा (6) जांच के दौरान धन वापसी या भुगतान शुल्क (7) दूतावासों द्वारा की गई खरीद (8) विपरीत शुल्क संरचना के कारण संचित क्रेडिट की वापसी (9) वर्ष अंत अथवा मात्रा आधारित प्रोत्साहन (10) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कर वापसी (11) अन्य शामिल हैं।
- (4) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
01 - आईजीएसटी से अंतः स्थानांतरण
02 - आईजीएसटी को बाह्य स्थानांतरण
- (5) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
01 - जब्त सामान की बिक्री आय
02 - फीस, जुर्माना और शास्तियां
- (6) राजस्व वसूली के बाद पता लगने वाली गलतियों को शुरुआत में इस लघु शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट प्रविष्टि के रूप बुक किया जाएगा। समाधान प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस प्रविष्टि को इस लघु शीर्ष की ऋण क्रेडिट तथा उपयुक्त लघु शीर्ष को क्रेडिट द्वारा समाशोधन किया जाएगा।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ और राज्य के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं.849

दिनांक: 19-06-2017

पृष्ठ सं.1 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

नए मुख्य शीर्ष को नए उप-सेक्टर (क) वस्तु और सेवा कर के नीचे अंतः स्थापित करें

मुख्य शीर्ष: 0007 संघ राज्य क्षेत्र वस्तु और सेवा कर (1)

उप मुख्य शीर्ष:	01	चंडीगढ़
लघु शीर्ष	101	कर (2), (3)
	102	ब्याज (2)
	103	शास्ति (2)
	104	फीस (2)
	105	यूटीजीएसटी और आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग (4)
	106	आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को कर भाग का अंतःस्थानांतरण
	107	आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को ब्याज भाग का अंतःस्थानांतरण
	108	आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को शास्ति भाग का अंतःस्थानांतरण
	109	जब्त माल की बिक्री आय (5)
	500	अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्तियां (6)
	800	अन्य प्राप्तियां (2)
उप मुख्य शीर्ष:	02	दमन और दीव
लघु शीर्ष:	101	कर (2), (3)
	102	ब्याज (2)
	103	शास्ति (2)
	104	फीस (2)

- 105 यूटीजीएसटी और आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग (4)
- 106 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को कर भाग का अंतःस्थानांतरण
- 107 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को ब्याज भाग का अंतःस्थानांतरण
- 108 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को शास्ति भाग का अंतःस्थानांतरण
- 109 जब्त माल की बिक्री आय (5)
- 500 अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्तियां (6)
- 800 अन्य प्राप्तियां (2)

उप मुख्य शीर्ष: 03 दादरा और नगर हवेली

- लघु शीर्ष: 101 कर (2), (3)
- 102 ब्याज (2)
- 103 शास्ति (2)
- 104 फीस (2)
- 105 यूटीजीएसटी और आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग (4)
- 106 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को कर भाग का अंतःस्थानांतरण
- 107 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को ब्याज भाग का अंतःस्थानांतरण
- 108 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को शास्ति भाग का अंतःस्थानांतरण
- 109 जब्त माल की बिक्री आय (5)
- 500 अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्तियां (6)
- 800 अन्य प्राप्तियां (2)

उप मुख्य शीर्ष: 04 लक्षद्वीप

- लघु शीर्ष: 101 कर (2), (3)
- 102 ब्याज (2)
- 103 शास्ति (2)
- 104 फीस (2)
- 105 यूटीजीएसटी और आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग (4)

- 106 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को कर भाग का अंतःस्थानांतरण
- 107 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को ब्याज भाग का अंतःस्थानांतरण
- 108 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को शास्ति भाग का अंतःस्थानांतरण
- 109 जब्त माल की बिक्री आय (5)
- 500 अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्तियां (6)
- 800 अन्य प्राप्तियां (2)

उप मुख्य शीर्षः 05 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

- लघु शीर्षः
- 101 कर (2), (3)
- 102 ब्याज (2)
- 103 शास्ति (2)
- 104 फीस (2)
- 105 यूटीजीएसटी और आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट कास उपयोग (4)
- 106 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को कर भाग का अंतःस्थानांतरण
- 107 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को ब्याज भाग का अंतःस्थानांतरण
- 108 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी को शास्ति भाग का अंतःस्थानांतरण
- 109 जब्त माल की बिक्री आय (5)
- 500 अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्तियां (6)
- 800 अन्य प्राप्तियां (2)

नोटः

- (1) इस मुख्य शीर्ष का उपयोग विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के लिए किया जाएगा ।
- (2) इस लघु शीर्ष निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगाः
- 01 - वसूलियां
- 02 - घटाएं वापसियां
- (3) लघु शीर्ष '101- कर' के नीचे उप शीर्ष 'घटाएं वापसियां' में विस्तृत शीर्ष (1) चूक/गलती के कारण अधिक व्यय (2) निर्यात (3) डीमड निर्यात (4) अनंतिम आंकलन (5) अपील दायर के लिए पूर्व जमा (6) जांच के दौरान धन वापसी या

भुगतान शुल्क (7) दूतावासों द्वारा की गई खरीद (8) विपरीत शुल्क संरचना के कारण संचित क्रेडिट की वापसी (9) वर्ष अंत अथवा मात्रा आधारित प्रोत्साहन (10) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कर वापसी (11) अन्य शामिल हैं।

(4) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा

01 - आईजीएसटी से अंतः स्थानांतरण

02 - आईजीएसटी को बाह्य स्थानांतरण

(5) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:

01 - जब्त माल की बिक्री आय

02 - फीस, जुर्माना और शास्तियां

(6) राजस्व वसूली के बाद पता लगाने वाली गलतियों को शुरुआत में इस लघु शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट प्रविष्टि के रूप बुक किया जाएगा। समाधान प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस प्रविष्टि को इस लघु शीर्ष की ऋण क्रेडिट तथा उपयुक्त लघु शीर्ष को क्रेडिट द्वारा समाशोधन किया जाएगा।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)

Vinay Singh

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ और राज्य के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची सं.850

दिनांक: 19-6-2017

पृष्ठ सं.1 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

नए लघु शीर्ष को नए उप सेक्टर (क) वस्तु और सेवा कर के नीचे अंतःस्थापित करें

मुख्य शीर्ष: 0008 एकीकृत वस्तु और सेवा कर (आईजीएसटी)

लघु शीर्ष	101	कर (1), (2)
	102	ब्याज (1)
	103	शास्ति (1)
	104	फीस (3)
	105	आईजीएसटी और सीजीएसटी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग (4)
	106	आईजीएसटी और एसजीएसटी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग (5)
	107	आईजीएसटी और यूटीजीएसटी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रास उपयोग (6)
	109	जब्त माल की बिक्री आय (7)
	500	अन्य लघु शीर्षों को स्थानांतरित की जाने वाली प्राप्ति (8)
	800	अन्य प्राप्ति (3)
	901	राज्यों को समनुदेशित निवल आय का भाग (9)
	950	आईजीएसटी का बंटवारा - सीजीएसटी को कर भाग का बाह्य स्थानांतरण (10)
	951	आईजीएसटी का बंटवारा - सीजीएसटी को ब्याज भाग का बाह्य स्थानांतरण (10)
	952	आईजीएसटी का बंटवारा - सीजीएसटी को शास्ति भाग का बाह्य स्थानांतरण (10)
	953	आईजीएसटी का बंटवारा - एसजीएसटी का कर भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (11)

- 954 आईजीएसटी का बंटवारा - एसजीएसटी के ब्याज भाग का बाह्य स्थानांतरण (10),(11)
- 955 आईजीएसटी का बंटवारा - एसजीएसटी के शास्ति भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (11)
- 956 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी के कर भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (12)
- 957 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी के ब्याज भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (12)
- 958 आईजीएसटी का बंटवारा - यूटीजीएसटी के शास्ति भाग का बाह्य स्थानांतरण (10), (12)

नोट:

- (1) यह लघु शीर्ष निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
 01 - वसूलियां
 02 - घटाएं वापसियां
- (2) लघु शीर्ष '101- कर' के नीचे उप शीर्ष 'घटाएं वापसियां' में विस्तृत शीर्ष (1) चूक/गलती के कारण अधिक व्यय (2) निर्यात (3) डीमड निर्यात (4) अनंतिम आंकलन (5) अपील दायर के लिए पूर्व जमा (6) जांच के दौरान धन वापसी या भुगतान शुल्क (7) दूतावासों द्वारा की गई खरीद (8) विपरीत शुल्क संरचना के कारण संचित क्रेडिट की वापसी (9) वर्ष अंत अथवा मात्रा आधारित प्रोत्साहन (10) अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कर वापसी (11) अन्य शामिल हैं।
- (3) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
 01 - वसूलियां
 02 - घटाएं वसूलियां
- (4) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा
 01 - सीजीएसटी से आईजीएसटी में अंतःस्थानांतरण
 02 - आईजीएसटी से सीजीएसटी में बाह्य स्थानांतरण
- (5) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
 01 - एसजीएसटी से आईजीएसटी में अंतःस्थानांतरण
 02 - आईजीएसटी से एसजीएसटी में बाह्य स्थानांतरण
 (विधानमंडल वाले प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए विशेष विस्तृत शीर्ष उप शीर्ष 01 और 02 के अंतर्गत खोले जाए)
- (6) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:
 01 - यूटीजीएसटी से आईजीएसटी में अंतःस्थानांतरण
 02 -आईजीएसटी से यूटीजीएसटी में बाह्य स्थानांतरण (प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधानमंडल) के लिए विशेष विस्तृत शीर्ष ऊपर उप शीर्ष 01 और 02 के अंतर्गत खोले जाए)

(7) इस लघु शीर्ष को निम्नलिखित उप शीर्षों में विभाजित किया जाएगा:

01 - जव्त माल की बिक्री आय

02 - फीस, जुर्माना और शास्ति

(8) राजस्व वसूली के बाद पता लगने वाली गलतियों को शुरुआत में इस लघु शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट प्रविष्टि के रूप बुक किया जाएगा। समाधान प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस प्रविष्टि को इस लघु शीर्ष की ऋण क्रेडिट तथा उपयुक्त लघु शीर्ष को क्रेडिट द्वारा समाशोधन किया जाएगा।

(9) यह लघु शीर्ष केंद्र सरकार लेखों में ऋण प्रविष्टि तथा राज्य लेखों में धन प्रविष्टि के रूप में दर्शाया जाएगा

(10) इस शीर्ष के अंतर्गत राशि ऋण संख्या में होगी

(11) प्रत्येक राज्य के लिए विशेष उप शीर्ष इस लघु शीर्ष के अंतर्गत खोले जाएं।

(12) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) के लिए विशेष उप शीर्ष इस लघु शीर्ष के अंतर्गत खोले जाएं ।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची संख्या: 851

दिनांक: 19-06-2017

पृष्ठ संख्या : 7 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

उप सेक्टर (ख) 'सम्पत्ति और पूंजीगत लेन देन पर कर' के स्थान पर (ग) 'सम्पत्ति, पूंजीगत और अन्य लेन देन पर कर' को रखें।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची संख्या: 852

दिनांक: 19-06-2017

पृष्ठ संख्या: 11 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

उप सेक्टर (ग) 'वस्तु एवं सेवा पर कर' के स्थान पर (घ) 'वस्तु एवं सेवा कर के अलावा माल एवं सेवाओं पर कर' को रखें।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची संख्या: 853

दिनांक: 19-06-2017

पृष्ठ संख्या: 95 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

नए मुख्य शीर्ष को उप सेक्टर (ख) राजकोषीय सेवाएं, (i) आय और व्यय पर करों का संग्रहण के नीचे अंतःस्थापित करें।

मुख्य शीर्ष: 2042 केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार

लघु शीर्ष: 001 निदेशन और प्रशासन
101 संग्रहण प्रभार
800 अन्य व्यय

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड्स)

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची संख्या: 854
दिनांक: 19-06-2017

पृष्ठ संख्या: 95 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

नए मुख्य शीर्ष को उप सेक्टर (ख) राजकोषीय सेवाएं, (i) आय और व्यय पर कर संग्रहण के नीचे अंतःस्थापित करें।

मुख्य शीर्ष: 2043 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (1) के अंतर्गत संग्रहण प्रभार
लघु शीर्ष: 001 निदेशन और प्रशासन
101 संग्रहण प्रभार
800 अन्य व्यय

टिप्पणी: (1) यह मुख्य शीर्ष राज्यों/ विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होगा।

(2017-18 से प्रभावी)
(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची संख्या: 855

दिनांक: 19-06-2017

पृष्ठ संख्या: 95 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

नए मुख्य शीर्ष को उप सेक्टर (ख) राजकोषीय सेवाएं, (i) आय और व्यय पर करों का संग्रहण के नीचे अंतःस्थापित करें।

मुख्य शीर्ष: 2044 संघ राज्य क्षेत्र वस्तु और सेवा कर (1) के अंतर्गत संग्रहण प्रभार

लघु शीर्ष: 001 निदेशन और प्रशासन
101 संग्रहण प्रभार
800 अन्य व्यय

टिप्पणी: (1) यह मुख्य शीर्ष बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होगा।

(2017-18 से प्रभावी)
(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)

दिनेश सिंह

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची संख्या: 856

दिनांक: 19-06-2017

पृष्ठ संख्या: 236 (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

मुख्य शीर्ष: 4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

निम्नलिखित नए लघु शीर्षों को मौजूदा लघु शीर्ष '037 - सीमा शुल्क' के ऊपर अंतःस्थापित करें :

- उप शीर्ष: 005 केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर
006 राज्य वस्तु एवं सेवा कर (3)
007 संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (4)

टिप्पणियां:

- (3) यह लघु शीर्ष राज्यों/ विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होगा।
(4) यह लघु शीर्ष बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त होगा।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)

Vinay Singh

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)

वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
नई दिल्ली

संघ तथा राज्यों के मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची

शुद्धि पर्ची संख्या: 857

दिनांक: 19-06-2017

पृष्ठ संख्या : xxi (पुनर्मुद्रित चतुर्थ संस्करण)

8 कोडिंग पैटर्न

मुख्य शीर्ष

निम्नलिखित पैरा को अंत में अंतःस्थापित करे:

विशेष परिस्थितियों में जहां 'राजस्व प्राप्तियां/राजस्व व्यय/पूजीगत व्यय/कर्ज' के बीच उपरोक्त समरूप व्यवहार बनाए रखना संभव न हो वहां तदनरूपी मुख्य शीर्ष कोड्स के अलावा अन्य उपयुक्त मुख्य शीर्ष कोड्स दिया जा सकता है।

(2017-18 से प्रभावी)

(प्राधिकार टी-14018/09/2015/जीएसटी/कोड)

विनय सिंघल

(विनय सिंघल)

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (कोड्स)